



966

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12084 विविध

दिनांक 13/08/15

- १- महेश पुत्र चैतन जाटव,
 - २- रमेश पुत्र भंता जाटव,
 - ३- फौद लिया पुत्र खुवा जाटव,
- समस्त निवासीगण- ग्राम मारीपुरा,
मीजा- वधरौठा, तैहसील कैलारस, जिला-मुरीना,
(मध्य प्रदेश) ।

----- प्रार्थीगण

बिराध्व

- ✓ १- उमेशचन्द्र शर्मा पुत्र मीलाराम शर्मा,
कथित पुजारी मन्दिर, मुरली मनोहर,
स्थित सवलगढ़, तैहसील सवलगढ़,
जिला मुरीना-मध्यप्रदेश । ---असल प्रतिप्रार्थ
 - २- सुमेरा पुत्र चैतन जाटव,
 - ३- रामस्वरूप पुत्र वलकन्त जाटव,
 - ४- भरीसी पुत्र चिरमाली जाटव,
 - ५- धुन्धी पुत्र खुवा जाटव,
- समस्त निवासीगण ग्राम मारीपुरा मीजा वधरौठा
वधरौठा, तैहसील कैलारस, जिला मुरीना-म०प्र० ।

---प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा ८ मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, १९५६ बिराध्व एस०डी०बी० महोदय सबलगढ़ प्र०क्र० अ-६८/नायव तैहसीलदार महोदय कैलारस क्रै ६०।८३-८४-अ-६८ के साथ सलग्न कार्यवाही प्रतिकेदन ।

श्रीमान् जी,

प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०बी० महोदय की आशा कानूनन सही नहीं है ।

क्रमशः --२

र. 20-10-15 को
रा आज दि 20-10-15 को
स्तुत
श. 20-10-15
दस्तावेज ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

29/10/15


XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3408-एक/15

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	